

अखिलेश प्रताप सिंह,
न्यायालय, सिविल जज सि०डि०,
अनु० व्य० न्या०, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर,
फाईनल डिक्री वाद-04/2024,
आदेश की तिथि-29.07.2026

न्यायालय, सिविल जज सि०डि०, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

फाईनल डिक्री वाद-04/2024

पूनम देवी.....डिक्रीधारी

बनाम

प्रदीप सिंह वगैरहनिर्णीत ऋणीगण

तिथि-29.07.2026

आदेश

उभय पक्षों की ओर से हाजरी प्राप्त है। डिक्रीधारी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि विभाजन वाद सं०-27/2021 में पारित प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि डिक्रीधारी की ओर से सिरिस्तेदार के द्वारा प्रतिवेदित निर्धारित स्टाम्प शुल्क मो० 3500/- रुपये दिनांक-23.07.2025 को दाखिल किया जा चुका है तथा इस वाद में प्रतिनियुक्त सर्वे जानकार अधिवक्ता का प्रतिवेदन भी अभिलेख के साथ संलग्न है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पूर्व में विभाजन वाद सं०-27/2021 में संधि के आलोक में पारित प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अंतिम फाईनल डिक्री नियमानुसार नियत अवधि के अंतर्गत तैयार करें।

अखिलेश प्रताप सिंह,
सिविल जज सि०डि०,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
दिनांक-29.07.2026